फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– **अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट** मु.नं. 55/सन् **2019**

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>30.07.2019</td><td>
यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी रामलाल पुत्र ईशरराम जाति दर्जी निवासी न्यामा ने वाद पत्र केम्प कोर्ट सालासर में प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।
प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खारिया कनीराम की जमाबन्दी संवत 2073–76 नया खाता खंख्या 217 में प्राथी का नाम राजस्व रिकार्ड में रामूराम पुत्र ईशरराम जाति दर्जी निवासी न्यामा दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का नाम आधार कार्ड परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र ईशरराम जाति दर्जी निवासी न्यामा है। प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र ईशरराम किया जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई पटवार हल्का खारिया कनीराम भु अभिलेख नि. खूड़ी व उप तहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबंदी संवत 2073–76 में प्रार्थी का नाम रामूराम पुत्र ईशरराम जाति दर्जी निवासी न्यामा दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड परिचय पत्र व पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का सही नाम रामलाल पुत्र ईशरराम जाति दर्जी निवासी न्यामा है। जो शुद्ध किया जाना उचित है।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात एंव भू–अभिलेख निरीक्षक खूड़ी की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खारिया कनीराम तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में नया खाता संख्या 217 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>ग्राम</th><th>खाता संख्या</th><th>वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)</th><th>आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>खारिया कनीराम</td><td>217</td><td>रामूराम पुत्र ईशरराम जाति दर्जी निवासी न्यामा</td><td>रामलाल पुत्र ईशरराम जाति दर्जी निवासी न्यामा</td></tr>
</table>
निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट सालासर में सुनाया गया।

30/07/19
उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ
</td><td></td></tr>
</table>

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ